

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS
राजस्व मूल वाद संख्या:- 100/2023

34

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01 मोटाराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम जाति पटेल निवासी ग्राम धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01 अमराराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम 02 हडमानराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम जाति पटेल 03 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :-

- 01 वादी की और से अधिवक्ता प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित
02 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ललित शर्मा उपस्थित।
03 प्रतिवादी संख्या 3 की और से राजकीय पैरोकार उपस्थित

आदेश

दिनांक :- 16-4-2024

राजस्व वाद संख्या 100/2023 अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.05.2024 को किया गया एवं तहसीलदार लूणी को बटवाडा प्रस्ताव हेतु लिख गया। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 12.02.2025 को पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम धुंधाड़ा पटवार हल्का धुंधाड़ा तहसील लूणी के खसरा नम्बर 22 रकबा 6.2564 हैक्टेयर भूमि सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के साथ वादी को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार है तथा भूमि मे नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 24.12.2024 मय मौका फर्द दिनांक को 12.02.2025 को की गई जिसके आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है -

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	लगान	किस्म
A	01 मोटाराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम जाति पटेल निवासी ग्राम धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।	22	02.0855	2.44	बारानी प्रथम
		01	02.0855	2.44	बारानी प्रथम
B	अमराराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम जाति पटेल निवासी ग्राम धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।	22	02.0855	2.44	बारानी प्रथम
		01	02.0855	2.44	बारानी चतुर्थ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

C	हडमानराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम जाति पटेल जाति पटेल निवासी ग्राम धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।	22	02.0855	2.44	बारानी चतुर्थ
		01	02.0855	2.44	बारानी चतुर्थ

33

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारण खातेदार होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 26.12.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 26.12.2024 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।



(पुखराज कांसोटिया) RAS

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

36

डिकरी बमुकदमें इत्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 100/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01 मोटाराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम जाति पटेल निवासी ग्राम धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01. अमराराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम 02. हडमानराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम जाति पटेल 03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

दावा अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 100/2023 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि -

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाता हैं कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 26.12.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 16-4-2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	-		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान	-	-



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी